

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

नाम..... बनाम.....

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/10/2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... को पेश हो।</p>	
18/12/19	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विप्रार्थी/जिना के नोटिस तामील करके तामील करवाते। सम्पन पीठासीन अधिकारी डिग्न कार्य में व्यस्त होने से मिराल इलतवा दौडा कागशी दिनांक 23/03/2020 को पेश दी।</p>	
23/03/2020	<p>पत्रावली काज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं खिशा गया सम्पन पीठासीन अधिकारी डिग्न कार्य में व्यस्त होने से मिराल इलतवा दौडा कागशी दिनांक 19/05/20 को पेश दी।</p>	



19/05/20


प्रार्थी वहील उपस्थित पत्रावली
पेरा हुई। डीकेन- 2019 के चलते
नहीं लिया गया। सीमांत पीठाधीन अधिकारी
डिग्रा डायरी में बतलाने के सिवाय इतर
कोर आगामी दिनांक 14/07/2020 को पेरा दी।

14/07/2020

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपरीतियों के
नोटिस जारी नहीं किये गये जारी होकर पत्रावली
दिनांक 09/09/2020 को पेरा दी।

09/09/2020


प्रार्थी वहील उपस्थित। विपरीतियों के नोटिस
तमिल खुदा प्राप्त जिसे वास्तव पत्रावली किया
गया। विपरीतियों वास्तुतः तमिल अनुपस्थित।
विपरीतियों संख्या- 6 के नोटिस पर फौल होने
लिखा गया। दोष विपरीतियों अनुपस्थित। फलः
प्रार्थी वहील विपरीतियों संख्या- 6 के काम सुकाम
की खानि पेरा डटे। पत्रावली दिनांक 15/09/20
को पेरा दी।



सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

15/09/2020

प्रार्थी वहील उपस्थित। प्रार्थी वहील द्वारा विपरीतियों
संख्या- 6 की फौलगी सूचना प नाम विलोपित डरने बाबत
डा अनुपस्थित किया गया व मिशन किया है विपरीतियों संख्या-
6 के काम सुकाम खानि में रेड पर है विपरीतियों संख्या- 6
डा नाम विलोपित किया जाडर प्रार्थी वहील द्वारा अनुपस्थित
संबोधित विषय को रेड पर लिखा जाके। प्रार्थी अधिकारी
के मिशन पर प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित संबोधित विषय रेड
पर लिखा जाला है व विपरीतियों संख्या- 6 डा नाम विलोपित किया
जाला है। प्रार्थी के अधिकारी की उपस्थिति बतलाने की गई।



सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक :- 15/09/2020

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की तारीख
में जारी हुए


क्रमांक / आवेदन / 2020 / 645
राजस्व आवेदन संख्या - 333 / 2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री राजू पुत्र जसीया वगैरा 9 जाति-भाट निवासी-नया सोमेश्वरा, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		श्री भूरसिंह पुत्र विरधसिंह वगैरा 32, निवासी-नया सोमेश्वरा तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश


प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-नया सोमेश्वरा, पटवार मण्डल-नौसर, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 293, 462/294, 321, 324, 363/324 रकबा क्रमशः 01.00, 168.09, 57.08, 77.17, 00.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर
बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :- 15/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 646-650
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी, हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री राजू पुत्र जसीया वगैरा 9।
4. विप्रार्थीगण श्री भूरसिंह पुत्र विरधसिंह वगैरा 32।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।


सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु